न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 168 सन 2022

अनवान :–

1. भालाराम पुत्र रावताराम जाति ब्राहम्ण निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सुशीलादेवी पत्नी महेशचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 198/175 की कुल 9.9050हैक बारानी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 17803/49525हिस्सा यानी 3.5680हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज वह पूर्व में प्रतिवादीया संख्या 1 के पति महेशचन्द पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज थी वादी ने प्रतिवादीया संख्या 1 के पति महेशचन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल से जरिये बेयनामा दिनांक 08.07.2010 को खरीद की गई थी तथा कब्जा मौका पर वादी को दे दिया गया था जो वाद भूमि वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड भूमि वादी के नाम दर्ज ना होकर प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

महेशचन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल का देहान्त होने के बाद महेशचन्द पुत्र रामेश्वरलाल के नाम दर्ज भूमि विरास्तन से प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई और वादी के द्वारा जरिये बैयनामा वादीया के पति से खरीद की गई भूमि भी वादीया के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि को वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में से वादी के द्वारा जरिये बेयनामा खरीद की गई भूमि को वादी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पति महेशचन्द पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है प्रतिवादीया संख्या 1 के पति ने अपने जीवनकाल में अपने नाम से दर्ज भूमि में 0.152हैक भूमि को जरिये बेयनामा दिनांक 08.07.2010 को वादी को बेचान की गई थी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी के द्वारा खरीद की गई भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी के द्वारा खरीद की गई

Scanned with CamScanner

भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 198/175 की कुल 9.9050हैक बारानी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 17803/49525हिस्सा यानी 3.5680हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज वह पूर्व में प्रतिवादीया संख्या 1 के पति महेशचन्द पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज थी वादी ने प्रतिवादीया संख्या 1 के पति महेशचन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल से जरिये बेयनामा दिनांक 08.07.2010 को खरीद की गई थी तथा कब्जा मौका पर वादी को दे दिया गया था जो वाद भूमि वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड भूमि वादी के नाम दर्ज ना होकर प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

महेशचन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल का देहान्त होने के बाद महेशचन्द पुत्र रामेश्वरलाल के नाम दर्ज भूमि विरास्तन से प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई और वादी के द्वारा जरिये बैयनामा वादीया के पति से खरीद की गई भूमि भी वादीया के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि को वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 198/175 की कुल 9.9050हैक बारानी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 17803/49525हिस्सा यानी 3.5680हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कंथन है कि वाद भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पति महेशचन्द पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है प्रतिवादीया संख्या 1 के पति ने अपने जीवनकाल में अपने नाम से दर्ज भूमि में 0.152हैक भूमि को जरिये बेयनामा दिनांक 08.07.2010 को वादी को बेचान की गई थी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी के द्वारा खरीद की गई भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी के द्वारा खरीद की गई भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पति से खरीद की गई भूमि को बैयनामा अनुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 198/175 की कुल 9.9050हैक बारानी भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 17803/49525 हिस्सा यानी 3.5660हैक में से वादी अकेला 0.152हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भालाराम पुत्र रावताराम जाति ब्राहम्ण निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सुशीलादेवी पत्नी महेशचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 168 सन 2022 निर्णय दिनांक–13/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 198/175 की कुल 9.9050हैक बारानी भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 17803/49525 हिस्सा यानी 3.5660हैक में से वादी अकेला 0.152हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner